भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2812

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

अल्पसंख्यक छात्रों पर योजनाओं का प्रभाव

2812. श्री इमरान मसूद:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण और कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए छात्रों का राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया और भुगतान के तरीके को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी तथा सिख समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हेतु निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करता है:

I. छात्रवृत्ति योजनाएँ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 तक छात्रवृत्ति योजना को तीन घटकों, अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन के साथ लागू किया गया, जिसके अंतर्गत योजना के प्रारंभ से अब तक 8.12 करोड़ पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों को 20,610 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। तथापि, अब तक इन छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये छात्रवृत्ति योजनाएँ वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात संचालित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत किसी भी नए लाभार्थी को शामिल नहीं किया गया है।

तथापि, योजना के संचालन के दौरान लाभार्थियों का चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जाता था। छात्रवृत्ति की राशि का वितरण आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (APBS) का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र के माध्यम से किया जाता था, जिससे छात्रवृत्ति राशि के संवितरण में पारदर्शिता, दक्षता तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाता था।

II. शिक्षा ऋण एवं अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति प्रबंधन पोर्टल (SFMP) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-I** में संलग्न है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान MANF योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का समुदायवार विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित छात्रों की राज्यवार एवं समुदायवार संख्या का विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना को बंद कर दिया गया है। तथापि, योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत वर्तमान MANF अध्येताओं को उनकी अध्येतावृत्ति अवधि पूर्ण होने तक अध्येतावृत्ति के लाभ प्रदान किए जाते रहेंगे।

NMDFC की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन, मिलन (MILAN) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं तथा लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। छात्र लाभार्थी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजी औपचारिकताएँ पूर्ण किए जाने के उपरांत, ऋण राशि सामान्यतः संबंधित महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान के बैंक खाते में सीधे जारी कर दी जाती है।

NMDFC अपनी शिक्षा ऋण योजना सहित रियायती ऋण योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु नियमित रूप से स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रभाव आकलन अध्ययन कराता है। नवीनतम प्रभाव आकलन अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान किया गया।

III. कौशल विकास योजना

सरकार द्वारा इस मंत्रालय की सीखो और कमाओ (SAK), USTTAD, नई मंज़िल तथा नई रोशनी योजनाओं का प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। इन अध्ययनों में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के कौशल उन्नयन, रोजगारयोग्यता, आय सृजन, शैक्षिक उपलब्धि, नेतृत्व विकास तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम पाए गए। उक्त योजनाओं को हमारी धरोहर योजना के साथ समेकित कर वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना प्रारंभ की गई।

PM VIKAS योजना के अंतर्गत 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 59 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों(PIA) को 1.56 लाख लाभार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 32,138 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

मंत्रालय ने लाभार्थी एवं कार्यक्रम प्रबंधन हेतु लाभार्थी चयन, निगरानी तथा निधि अंतरण प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पोर्टलों/MIS के माध्यम से उत्तरोत्तर डिजिटाइज किया है। लाभार्थियों का चयन, निधियों का प्रवाह तथा निगरानी का कार्य अधिकांशत: डिजिटल मंचों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि संपूर्ण डिजिटलीकरण तथा वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार संबंधी सिफारिशें की जा रही हैं।

अनुबंध-I

'अल्पसंख्यक छात्रों पर योजनाओं का प्रभाव' विषय पर माननीय सांसद श्री इमरान मसूद द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2812 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एमएएनएफ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/वर्ष	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	10	7	3
3	अरुणाचल प्रदेश	5	3	2
4	असम	37	26	23
5	बिहार	69	44	20
6	चंडीगढ़	2	1	1
7	छत्तीसगढ़	0	0	0
8	दिल्ली	91	86	60
9	गोवा	1	1	1
10	गुजरात	13	12	10
11	हरियाणा	24	14	12
12	हिमाचल प्रदेश	10	8	8
13	जम्मू एवं कश्मीर	374	267	176
14	झारखंड	22	13	9
15	कर्नाटक	20	16	13
16	केरल	163	116	86
17	लद्दाख	3	2	2
18	लक्षद्वीप	0	1	0
19	मध्य प्रदेश	18	14	11
20	महाराष्ट्र	52	34	22
21	मणिपुर	15	10	7
22	मेघालय	9	7	4
23	मिजोरम	4	1	0
24	नागालैंड	8	4	4
25	ओडिशा	8	3	2
26	पुदुचेरी	2	2	1
27	पंजाब	108	85	57
28	राजस्थान	22	9	5
29	सिक्किम	4	2	2
30	तमिलनाडु	15	6	4
31	तेलंगाना	22	17	12
32	त्रिपुरा	2	2	2
33	उत्तर प्रदेश	300	235	145
34	उत्तराखंड	14	11	9
35	पश्चिम बंगाल	178	127	111
	कुल योग	1625	1186	824

टिप्पणी: प्रत्येक वर्ष में लाभार्थियों की संख्या में वे अध्येता भी शामिल हैं, जो अपने पी.एचडी. कार्यक्रम के आगामी वर्षों के दौरान अध्येतावृत्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थें।

अनुबंध-II

'अल्पसंख्यक छात्रों पर योजनाओं का प्रभाव' विषय पर माननीय सांसद श्री इमरान मसूद द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2812 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एमएएनएफ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का समुदायवार विवरण

समुदाय/वर्ष	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
बौद्ध	33	27	28
ईसाई	93	87	65
समुदाय का उल्लेख नहीं	610	192	85
जैन	21	21	18
मुस्लिम	781	766	562
पारसी	1	1	1
सिख	86	92	65
कुल योग	**1625**	**1186**	**824**

टिप्पणी: प्रत्येक वर्ष में लाभार्थियों की संख्या में वे अध्येता भी शामिल हैं, जो अपने पी.एचडी. कार्यक्रम के आगामी वर्षों के दौरान अध्येतावृत्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थें।

अनुबंध-III

'अल्पसंख्यक छात्रों पर योजनाओं का प्रभाव' विषय पर माननीय सांसद श्री इमरान मसूद द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2812 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी की शिक्षा ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित लाभार्थियों का राज्यवार एवं समुदायवार विवरण

राज्य	मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	बौद्ध	पारसी	कुल
हिमाचल प्रदेश	7	0	4	0	0	0	11
जम्मू एवं कश्मीर	204	0	3	0	0	0	207
केरल	399	425	0	0	0	0	824
महाराष्ट्र	131	3	0	29	0	0	163
पंजाब	0	0	2	0	0	0	2
राजस्थान	30	0	2	3	0	0	35
तमिलनाडु	14	15	0	0	0	0	29
पश्चिम बंगाल	1453	4	1	1	0	0	1459
कुल योग	**2238**	**447**	**12**	**33**	**0**	**0**	**2730**
